(107)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1298–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–4–17 पारित द्वारा अपर तहसीलदार वृत्त मुरार जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 1/2016–17/अ–70.

1–भगवानदास बाथम पुत्र चुक्खा बाथम

2–भागीरथ पुत्र चुक्खा बाथम

निवासीगण नर्वदा कालोनी भगतजी वाली गली,

मुरार ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1–गणेशीलाल पुत्र श्री वृजलाल

2–नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री वृजलाल

3–कन्हैयालाल पुत्र श्री वृजलाल

4–सुशील चन्द्र पुत्र श्री वृजलाल

निवासीगण सौदागर संतर मुरार

ग्वालियर म0प्र0 .....अनावेदकगण

श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर0एस0गौड़, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/9/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर अपर तहसीलदार वृत्त मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–04–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा तहसीलदार मुरार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व की मौजा मुरार परगना व जिला ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 2672 रकबा 0.209 हेक्टेयर व सर्वे नम्बर 2688 रकबा 0.251 हेक्टैयर स्थित है । उक्त भूमि अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण को कृषि कार्य करने हेतु बटाई पर दी गई थी, इसके बाद दिनांक 10–10–2016 को अनावेदकगण द्वारा आवेदकगण से भूमि से कब्जा हटाने के लिये कहा गया, परन्तु उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया, अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–70/16–17 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 6–2–17 को अंतरिम आदेश पारित कर आपत्ति निरस्त की गई । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9–2–17 को आदेश पारित कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि आपत्ति पर बोलता हुआ आदेश पारित करें । तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुये दिनांक 24–4–2017 को अंतरिम आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से आवेदकगण को बेदखल करने का आदेश दिया गया । तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि आवेदकगण का लगभग 40 वर्ष से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है जिसका इंद्राज भी राजस्व अभिलेखों में रहा है, परन्तु अनावेदकगण द्वारा बिना किसी आदेश के आवेदकगण के कब्जे की प्रविष्टि हटवा ली गई है

जिसकी जानकारी होने पर आवेदकगण तहसील न्यायालय में इंद्राज दुरूस्ती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । उक्त आवेदन पत्र के प्रचलनशीलता पर आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई जो कि तहसीलदार द्वारा निरस्त की गई । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–6–11 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती नहीं देने से वह आदेश अंतिम हो गया है ।

(2) गिरीश जैन द्वारा दिनांक 17–6–16 को पुलिस थाना मुरार ग्वालियर में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि भूमि सर्वे नम्बर 2672 एवं 2688 उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है, जो कि आवेदकगण को बटाई पर दी गई थी परन्तु अब वे कब्जा नहीं छोड रहे हैं । पुलिस द्वारा जॉच करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब्जा उनके पिता के समय से होकर भूमि पर पाटोर एवं कमरे बने है जिनमें वह निवास कर रहा है । अतः पुलिस द्वारा गिरीश जैन के आवेदन पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही करने से मना कर दिया गया ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का 40 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है इसलिये संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदकगण पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।

(4) पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर झोपडी व कमरे एवं लेट्रिन बनी है जिस पर आवेदकगण लगभग 40 वर्ष से भी अधिक समय से निवास कर रहे हैं, जबकि संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत 2 वर्ष के अन्दर आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, इसलिये भी अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के समर्थन में 2010 आरएन 342 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियॉ अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है और आवेदकगण द्वारा उक्त भूमियों पर अवैध कब्जा किया गया है इसलिये तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर कब्जा वापिस दिलाये जाने का आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिक अथवा अनियमितता नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के समक्ष प्रकरण का अभी अंतिम रूप से निराकरण होना है जहॉ आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वे साक्ष्य से यह प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनका 40 वर्ष से भी अधिक समय से कब्जा है और प्रश्नाधीन भूमि पर झोपड़ी एवं कमरे बने हुये होने से संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय के आदेश के पालन में बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है, जो हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9–2–2017 को आदेश पारित कर तहसीलदार को आवेदकगण की आपत्ति पर बोलता हुआ आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे । तहसीलदार द्वारा दिनांक 24–4–2017 को अंतरिम आदेश पारित करने में इस न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुये आदेश पारित किया गया है, परन्तु बोलता हुआ आदेश पारित नहीं किया गया है, केवल इस आधार पर आवेदकगण को मौके से बेदखल करना उचित ठहराया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जबकि उन्हें स्पष्ट विवेचना करना चाहिये थी कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का कब से कब्जा निरन्तर कब्जा है और उनके

द्वारा संहिता की धारा 250 की किस उपधारा के अन्तर्गत आदेश पारित किया जा रहा है, क्योंकि संहिता की धारा 250 की उपधारा 3 के अन्तर्गत अंतरिम तौर से कब्जा दिलाये जाने का प्रावधान है, जिसके लिये यह तथ्य प्रमाणित करना होता है कि तहसीलदार द्वारा कार्यवाही किये जाने के पूर्व 60 दिवस के भीतर विरोधी पक्षकार द्वारा बेकब्जा किया गया है, जबकि इस प्रकरण में आवेदकगण की ओर से यह आधार लिया जा रहा है कि उनका प्रश्नाधीन भूमि पर अनेक वर्षो से कब्जा चला आ रहा है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनुचित आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर तहसीलदार वृत्त मुरार जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–4–2017 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार को भेजा जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर